



323/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 7838/28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 10 दिसम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
देना बैंक	018510003434	IFSC Code BKDN0720185	141.035

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	गुरुनानक नगर वार्ड के अन्तर्गत स्नेहनगर में कीमतीलाल सोनकर के मकान से युगल किशोर के मकान होते हुए मोतीलाल वर्मा के मकान तक एवं मकान नं० 569क/185 सिया निवास व मकान नं० 569ख/178 कमल सदन से नन्हेराम के मकान होते हुये नन्दू गोपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	6.090
2	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत हस्तिनापुर मलिन बस्ती में हस्तिनापुर तिराहा-तुलसी उद्यान रोड से राधेश्याम के०एल पाल व श्री राम लखन यादव के मकान होते हुए आर०के० सिंह के मकान तक व मन्दिर वाली सड़क पर इण्टरलाकिंग नाली व क्रासिंग का निर्माण एवं भदौरिया निवास तथा ए०एन० राय वाली सड़क पर नाली व क्रासिंग का निर्माण का कार्य।	12.874
3	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्ती भीमनगर में पवन के मकान से रामलाल के मकान होते हुये मदरसा इरम स्कूल तक, राम लाल के मकान से सुन्दर लाल के मकान तक, हसन फ़ैब्रिकेशन से सद्दुल हसन, कल्लू नगर निगम, टायलेट होते हुए शंकर लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	5.356



323/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनांतर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
4	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विशाल खण्ड 4ए (ग्वारी गांव) की वाल्मीकि समाज मलिन बस्ती में वर्मा जनरल स्टोर से शिव उपाध्याय के घर होते हुए डी-4/254 तक एवं आकाश के मकान से पार्क तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	14.271
5	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	लालबहादुर शास्त्री वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्ती घोसी पुरवा (अवधपुरी में प्रेम सागर के मकान से राम चन्द्र के मकान तक व म०न० 21 अवधपुर के सामने व सलामतउल्लाह के मकान से शोएब अहमद के मकान तक) इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	12.122
6	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	बाबूजगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्ती अवन्तीपुरम में फैंज आटो सर्विस सेन्टर से मनोज के मकान तक, मनोज के मकान से डम्पू के मकान तक, बद्री विशाल सिंह के मकान से शिव मन्दिर तक व राजाराम के मकान से अयान चन्द्र के मकान तक मंगल वाली गली, संजय कुमार वाली गली, इंदिरा प्रसाद के मकान से कल्लू ठेकेदार के मकान के आगे तक, धनीराम व राम प्रसाद वाली गली में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	14.533
7	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	इन्दिरानगर वार्ड में टीकापुरवा मलिन बस्ती में नीरज के मकान से मुन्ना के मकान तक, म०न० 18/369 से से नीरज वर्मा-मुन्ना वर्मा वाली सड़क तक, अमर सिंह की गली एवं रामसमुझ की गली में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण का कार्य।	11.433
8	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड स्थित मलिन बस्ती पण्डित पुरवा में शत्रोहन के मकान से प्रकाश पाल के मकान तक शिवाजीपुरम मार्ग से न्यू पुष्पा माण्टेन्सरी स्कूल होते हुये कैलाश धाम मन्दिर व प्रेम के मकान होते हुए मनोज के मकान तक, लखनऊ माडल पब्लिक इण्टर कालेज तक, कल्लू रावत के मकान से कडेले के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	18.016
9	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	इन्दिरानगर वार्ड में मुंशीपुरवा मलिन बस्ती में ठाकुर चक्की से गोमती प्रसाद के मकान होते हुये अनूप कुमार के मकान तक एवं सुलभ काम्पलेक्स से सरोज के मकान तक, हनुमान मंदिर के सामने वाली गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	11.135
10	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	किरपुरवा तृतीय वार्ड की मलिन बस्ती खुरमनगर में शकीला मंजिल से शबुद्दीन के मकान तक एवं शबुद्दीन के मकान होते हुये मालती के मकान तक सोहन वाली गली व शब्बीर के मकान से मेमोरियाल स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	12.469



323/13

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
11	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड स्थित मलिन बस्ती चौदन में शानू ट्रेडर्स के सामने से हकीम व सरवर सिद्दीकी एवं राधेश्याम के मकान से होते हुये आर०पी०डी०जे० साउण्ड तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण का कार्य।	8.550
12	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	कन्हैया माधौपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत दौलत खेडा में सुरेश चन्द्र लोधी के मकान से बाबा गया प्रसाद जी महाराज मन्दिर, सुशील लोधी के घर होते हुये छोटे लाल के घर एवं शौचालय तक, दौलत के मकान से राम सेवक के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	14.186
	योग				141.035

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

✓



322/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक